सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 76 राँची, शुक्रवार, 25 जनवरी, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

24 जनवरी, 2019

संख्या-5/आरोप-1-330/2014 का.-243 (HRMS)-- श्री जामनीकांत, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-467/03,गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन अंचलाधिकारी, कांके राँची, सम्प्रति-निलंबित के विरूद्ध श्री द्वारिका ठाकुर, ग्राम- नेवरी, पोस्ट- नेवरी विकास विद्यालय, थाना- सदर, जिला- राँची द्वारा पुलिस अधीक्षक, सी०बी०आई०, राँची के समक्ष दिनांक 22 जून, 1995 को शिकायत पत्र समर्पित किया गया, जिसके आलोक में सी०बी०आई० धावा दल द्वारा दिनांक 23 जून, 1995 को उनके आवास पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया तथा उनकी सरकारी आवास की तलाशी ली गयी एवं उनके पास आय से अधिक सम्पत्ति पायी गयी, जिसके लिए निगरानी थाना कांड सं- 50/95 एवं आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के लिए निगरानी थाना कांड सं०-35/96 दर्ज किया गया।

2. उक्त आरोपों हेतु श्री कान्त को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं०- 5937 दिनांक 19 जुलाई, 1995 द्वारा निलंबित किया गया एवं पुनः कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं०- 5793 दिनांक 07 जून, 1996 द्वारा निलंबित किया गया है।

3. निगरानी थाना कांड सं-50/95 में विधि (न्याय) विभाग, बिहार, पटना के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7/8,13(2),13(1)ए० के अधीन आदेश सं०-25/जे०, दिनांक 04 जनवरी, 1997 द्वारा श्री कान्त के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी।

4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, राँची के पत्रांक-5797 अनु० दिनांक 01 जून, 2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री कान्त को निगरानी थाना कांड संख्या-50/95 सम्प्रति निगरानी विशेष वाद सं०-11/95 में विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची द्वारा दिनांक 28 अप्रैल, 2018 को पारित आदेश में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा-7 के तहत् दोषसिद्ध करते हुए 2 (दो) साल के सश्रम कारावास एवं 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये का अर्थ दण्ड दिया गया है।

5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(ख) के तहत् विभागीय आदेश सं०-901(HRMS) दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा श्री कान्त को निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-4986, दिनांक 5 जुलाई, 2018 तथा स्मार पत्रांक-6207, दिनांक 13 अगस्त, 2018 के द्वारा सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर इनसे कारण पृच्छा की गयी, किन्तु इनके द्वारा कारण पृच्छा का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

6. समीक्षोपरांत श्री जामनीकांत, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-467/03) को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

7. विभागीय पत्रांक-8350, दिनांक 08 नवम्बर, 2018, पत्रांक-8864, दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 तथा पत्रांक-9485, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 द्वारा झारखण्ड, लोक सेवा आयोग, झारखण्ड राँची से उक्त निर्णय पर सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक-67, दिनांक 10 जनवरी, 2019 द्वारा सहमति संसूचित की गयी।

8. तत्पश्चात् दिनांक 17 जनवरी, 2019 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में श्री जामनीकान्त, तत्कालीन अंचलाधिकारी, कांके राँची, सम्प्रति- निलंबित को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव मद संख्या-01 के रूप में सम्मिलित किया गया एवं स्वीकृत किया गया है।

9. अतः श्री जामनीकान्त, तत्कालीन अंचलाधिकारी, कांके राँची, सम्प्रति- निलंबित को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-2016 के नियम-14(xi) के तहत् सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	JAMNI KANT BHR/BAS/1476	श्री जामनीकान्त, तत्कालीन अंचलाधिकारी, कांके राँची, सम्प्रति-निलंबित को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-2016 के नियम-14 (xi) के तहत् सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 76 -- 50